

दिनांक 19 फरवरी, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि बुलेकेरा एनीकट के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ
घरघोडा
बुलेकेरा
2.416 हे0

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
246	0.672	188	0.065
247	0.255	192	0.405
186/1	0.012	193	0.596
198/3	0.102	198/2	0.081
187/1	0.032	198/1	0.137
187/2	0.059		
कुल खसरा नंबर 11		कुल रकबा 2.416 हे0	

5.

6. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
7. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग